

दिनांक:—29.08.2019

उभय पक्ष उप.नहीं 3 बार आवाज लगायी गयी। बार—बार आवाज लगाने पर भी वकील वादी के उपस्थित नहीं आने व मूल वाद के खारिज होने पर प्रार्थना—पत्र 212 आर टी ऐ जरिये Withdraw खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

